राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक : 20(5)त.शि. / 04–पार्टI

जयपुर, दिनांक, 13 जुलाई, 2020

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
झालावाड।

विषय :–Approval Minutes of meeting Board of Governors dated 23-06-2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 23-06-2020 में लिये गये निर्णयों के कम में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप–III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि

अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

ग्राम चन्दलोई, सुनेल रोड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ 326023

कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की शाषी परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 23 जून, 2020 को मध्यान 01:00 बजे माननीय डॉ. सुभाष गर्ग, अध्यक्ष, शाषी परिषद, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे–

1. श्रीमति शुचि शर्मा, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रो. आर. ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
3. डॉ. अचला नागर, सहायक आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़
4. डॉ. नितिन आर्य, सहायक आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़
5. प्रो. अश्विनी चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरथकल (Online Video Conferencing के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए)
6. प्रो. जे. के. शर्मा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (Online Video Conferencing के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए)
7. डॉ. करतार सिंह, सदस्य सचिव, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ एवं प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्न विशेष आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे–

1. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. डॉ. मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. डॉ. संदीप कुमार, निदेशक, सी.ई.जी., जयपुर
4. प्रो. यू. ए. दबाडे, स्टेट प्रोजेक्ट एडवाईजर (TEQIP-III), राजस्थान, जयपुर
5. डॉ. अंकुर पारीक, नोडल आफिसर (अकादमिक), स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट (TEQIP-III), राजस्थान, जयपुर

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में निम्नानुसार प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिये गये–

प्रस्ताव संख्या 16.01: राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की 15वीं शाषी परिषद् की बैठक दिनांक 14.05.2020 के कार्यवाही विवरण (मिनट्स) की पुष्टि अनुमोदनार्थ।

विवरण: शाषी परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 14.05.2020 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय: अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 16.02: राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की 15वीं शाषी परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ।

विवरण: शाषी परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 14.05.2020 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) के क्रम में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) आगामी शाषी परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अनुमति हेतु प्रस्ताव रखा गया।

निर्णय: अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 16.03: नवीन प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है–

प्रस्ताव संख्या 16.03.01: TEQIP-III के अर्न्तगत Online Mode से STTP / FDP / Workshop / Professional Training / Webinar इत्यादि करवाने की अनुमति बाबत्।

विवरण: COVID-19 महामारी के दृष्टिगत TEQIP-III के अर्न्तगत पूर्व में अनुमोदित अकादमिक कलेन्डर के प्रोग्राम तथा अन्य STTP / FDP / Workshop / Professional Training / Webinar इत्यादि वैयक्तिक रुप से करवाये जाने के विकल्प के विरुद्ध Online Mode के माध्यम से करवाये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव रखा गया।

निर्णय: अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 16.03.02: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में वर्ष 2012 में नियुक्त कार्मिकों में से परीवीक्षाकाल अवधि उपरान्त देय परिलाभों से वंचित शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिको को परिलाभ जारी करने की अनुमति हेतु विचारार्थ।**

विवरण: महाविद्यालय में वर्ष 2012 में नियुक्त कुल 14 शैक्षणिक व 11 अशैक्षणिक कार्मिकों की में से परीवीक्षाकाल उपरान्त देय परिलाभों से वंचित 03 शैक्षणिक कर्मिकों एवं 06 अशैक्षणिक कार्मिको को परीवीक्षाकाल उपरान्त देय परिलाभ जारी किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शाषी परिषद के समक्ष रखा गया।

निर्णय: नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 16.03.03: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिको के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन की योजना के कियान्वयन के लिये AICTE के अनुसार 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

विवरण: तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक F.18(2) T.E./98-I Jaipur दिनांक 11.12.2019 तथा उक्त आदेशानुसार 14वीं बी.ओ.जी. बैठक दिनांक 18.12.2019 के निर्णय अनुसार महाविद्यालय के संकाय सदस्यों को प्रदान किये गये 7वें वेतन आयोग के लाभ के कम में तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 06.02.2020 के निर्देशानुसार एमएचआरडी/एआईसीटीई के अनुसार 7वें वेतन आयोग के एरियर का 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा राशि पुर्नभरण के प्रस्ताव एमएचआरडी, भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु बी.ओ.जी. के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

निर्णय: प्रस्ताव Defer किया गया।

प्रस्ताव संख्या 16.03.04: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में कार्यरत संकाय सदस्यों के कैरियर एडवान्समैन्ट स्कीम (CAS) के तहत ए.जी.पी. उन्नयन (6000—7000) की कार्यवाही विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

विवरणः राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की बी.ओ.जी. बैठक दिनांक 30.06.2019 तथा बी.ओ.जी. बैठक दिनांक 18.12.2019 के निर्णय अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों का कैरियर एडवान्समैन्ट स्कीम (CAS) के तहत ए.जी.पी. उन्नयन (6000–7000) की कार्यवाही पश्चात कमेटी की अनुशंसा को अनुमोदनार्थ माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः Envelopes were open in BoG. Decision is as per common decision no. 12.

प्रस्ताव संख्या 16.03.05: अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ का वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमानित बजट प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के विकास हेतु आवश्यक बजट प्रस्ताव राशि रु. 823.10 लाख माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 16.03.06: अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांरा का वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमानित बजट प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांरा के विकास हेतु आवश्यक बजट प्रस्ताव राशि रु. 107.70 लाख माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 16.03.07: अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांरा को RUSA द्वारा जारी अनुदान की तृतीय किश्त राशि रु 06.50 करोड के उपयोग के सम्बन्ध में बी.ओ.जी. के निर्णय अनुसार माननीय कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांरा को RUSA द्वारा जारी तृतीय किश्त राशि रु 06.50 करोड के उपयोग के सम्बन्ध में सोसाईटी की 13वीं बी.ओ.जी. बैठक के निर्णय अनुसार

कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः शाषी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा जारी कुल अनुदान राशि रु. 26.00 करोड की तृतीय एवं अंतिम किश्त राशि रु 06.50 करोड का उपयोग आधुनिक उपकरण व सुविधाओं से युक्त कम्प्यूटर सेन्टर के विकास सहित उपयोगिताओं हेतु किया जावे तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांरा के प्रथम व द्वितिय वर्ष के विद्यार्थीयों हेतु लैब उपकरण, लैब, पुस्तकालय, कार्यालय एवं कक्षा–कक्ष हेतु फर्निचर की खरीद तथा पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की खरीद पर किया जावे। इसके लिए संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे तथा नोडल अधिकारी द्वारा 7 दिवस में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाँरा की विजिट की जावे।

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

दिनांक 23–25/6/2020 को तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बी.ओ.जी. बैठक के कॉमन निर्णय :–

1. सत्र 2020–21 में प्रदेश में रीप के माध्यम से बी.टेक में 12वीं की मेरिट के आधार पर अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही की जावे।
2. समस्त 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाइटी के ऑडिट के लिए एक ही सी.ए. ऑडिट फर्म लगाया जावे, इसके लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा चयन की प्रक्रिया की जावे। इसका अनुमोदन प्रेसीडेन्ट महोदय से लिया जावे।
3. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का LFAD ऑडिट कराये जाने हेतु विभाग की ओर से वित्त विभाग को पत्र लिखा जावे।
4. सभी 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को एक ही सोसाइटी के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जावे।
5. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँरा अन्तर्गत RUSA के तहत स्वीकृत राशि रूपये 6.5 करोड़ रूपये का RUSA की गाइडलाइन के तहत लैब, इक्विमेंट, इत्यादि का कार्य किया जाना है। इसके लिए संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। नोडल अधिकारी शीघ्र बाँरा की विजिट कर तकनीकी शिक्षा विभाग को रिपोर्ट पेश करें।
6. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्मिको को लागू 7वें वेतनमान के 50 प्रतिशत केन्द्रांश राशि के भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने के एजेण्डा को सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के लिए स्थगित किया गया।
7. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्य भर्ती हेतु जारी विज्ञापन की राशि को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को शीघ्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये।
8. TEQIP-III के अन्तर्गत क्रय की प्रक्रिया को केन्द्रीयकृत किये जाने हेतु समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों (टेक्यूप-III) प्राचार्यों के साथ पृथक से बैठक की जावें।
9. TEQIP-III के अन्तर्गत ऑनलाइन संगोष्ठी/कार्यशाला/वेबीनार/लघू अवधि प्रशिक्षण हेतु अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को जोड़ा जावें।
10. महाविद्यालयों में किसी भी राशि के अग्रिम का समायोजन GF &AR के अनुसार किया जावें। ऐसा न होने पर वेतन से राशि काटी जावें।
11. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन TEQIP-III की सम्बन्धित मद से नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।
12. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शिक्षकों के छठें वेतनमान के अन्तर्गत AGP 6000-7000 के लिफाफे खोले गये। यह निर्देश प्रदान किये गये कि जिन प्रकरणों में ऑडिट/विशेष ऑडिट/जाँच/न्यायलय प्रकरण हैं, उन्हें CAS का लाभ रोका जावे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्पष्ट रूप से अनुशंषित प्रकरणों को अनुमोदित किया गया।
13. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा सी.सी.टी.वी सिस्टम का लिंक तकनीकी शिक्षा विभाग को एक माह में भेजा जावे। प्रेसीडेन्ट महोदय के कक्ष में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा यह व्यवस्था की जावे।
14. जिन अभियांत्रिकी महाविद्यालियों में फैकल्टी की समस्या है। वहाँ पर अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से प्रवेशित छात्रों की वास्तविक संख्या के मध्यनजर आवश्यकतानुसार चार माह के लिए कार्यव्यवस्थार्थ फैकल्टी को भेजा जायेगा।